पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1189
दिनांक-20.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बक्शी का तालाब

- **अपहरण के मुकदमे से सम्बन्धित 03 अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **सर्विलांस सेल डीसीपी उत्तरी तथा थाना बक्शी का तालाब की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 15.05.2025 को आवेदक श्री इमरान पुत्र श्री रउफ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अज्ञात 02 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12.05.2025 को समय करीब सायं 06 बजे उसके भाई इमरान उम्र करीब 35 वर्ष को मारपीट कर गाडी में बैठा कर अपहरण कर लिया गया है तथा 02 लाख रूपये फिरौती की मांग किया जा रहा है। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 140(2) बीएनएस दर्ज किया गया था। दिनांक 15.05.2025 को 03 अभियुक्त 1.उत्कर्ष सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी सरायगनी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ 2.मो0 मुफीद पुत्र मो0 मुजीब निवासी रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ 3.रामचन्द्र उर्फ अब्दुल्ला पुत्र शिवनाथ निवासी बसंतनगर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तगण वांछित चल रहे है।

आज दिनांक 20.05.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियोग से सम्बन्धित अन्य तीन वांछित अभियुक्तगण 1. आकिब अली पुत्र साबित अली निवासी पलका पोस्ट बस्हा थाना गुडम्बा लखनऊ, उम्र 24 वर्ष 2.सानिब खान पुत्र वसीक खान निवासी पलका पोस्ट बस्हा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष, 3. इकरार खान पुत्र दिलशाद खान निवासी पैकरामऊ थाना गुण्डम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष को नगवामऊ अण्डर पास से समय करीब 12.30 बजे मु0अ0सं0 188/2025 धारा 140(2)/308(5)बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि राम चन्द्र उर्फ अब्दुल्ला के कहने पर पैसे के लालच में आकर इरफान का अपहरण कर लिये थे। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा अपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य

- अभियुक्त गणों द्वारा पैसे की लालच में आकर इरफान का अपहरण करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1.आकिब अली पुत्र साबित अली निवासी पलका पोस्ट बस्हा थाना गुडम्बा लखनऊ, उम्र 24 वर्ष, (व्यवसाय - बेरोजगार)
- 2.सानिब खान पुत्र वसीक खान निवासी पलका पोस्ट बस्हा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष, (व्यवसाय - बेरोजगार)
- 3. इकरार खान पुत्र दिलशाद खान निवासी पैकरामऊ थाना गुण्डम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष (व्यवसाय - बेरोजगार)

पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 188/2025 धारा 140(2)/308(5)बीएनएस

अपराधिक इतिहास

अपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना बीकेटी पुलिस टीम	क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी
1. उ0नि0 अनुराग गोस्वामी	1. क्राइम/सर्विलांल टीम प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह
2. उ0नि0 पंकज कुमार गुप्त	2. हे0का0 नदीम
3. उ0नि0 अजय कुमार गौतम	3. हे0का0 अवधेश गिरी
4. उ0नि0 सरफराज खान	4. हे0का0 संतोष कुमार
5. का0 3580 सचिन कुमार	5. हे0का0 अमित कुमार गौतम
6. म0का0 वन्दना यादव	6. का0 विशेष दुहुण
	7. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1190

दिनांक-20.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **पारिवारिक विवाद में चाकू से वार कर अपने भाई की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार।**
- **थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 24 घन्टे के अन्दर अपने भाई की हत्या के आरोपी को पकड़ा।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–207/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत है।**

सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 19.5.2025 को वादी श्री राम दुलारे पुत्र चन्द्रिका प्रसाद रावत निवासी प्लाट 66 विजयखण्ड -2 थाना गोमतीनगर लखनऊ के प्रा0 पत्र बावत- वादी के छोटे बेटे शनी द्वारा दिनांक 19.5.2025 की रात्रि में वादी के बड़े बेटे बाबूलाल को चाकू तथा बांके से गर्दन पर बार –बार वार करने जिससे वादी के बड़े बेटे बाबूलाल की मृत्यु हो जाने के विषयक प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0–207/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी को सुपुर्द हुयी।

कार्यवाही का विवरण:-

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। फॉरेसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन किया गया आज दिनांक 20.5.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगणों के दिशा- निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के घटना स्थल विजयखण्ड-2 गोमतीनगर पर मौजूद थे कि अभियुक्त शनी पुत्र राम दुलारे निवासी प्लाट 2/266 से 2/268 विजय खण्ड 02 गोमतीनगर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा विजयखण्ड-2 खाली प्लाट 2/266 से 2/268 पर स्थित झोपड़ी के अन्दर से करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटनास्थल से आलाकत्ल एक चाकू, एक बांका व अभियुक्त की टी-शर्ट (खूनालूदा) बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

घटना का कारण:-

अभियुक्त शनी उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरा भाई बाबूलाल नशे का आदी था। आये दिन घर में माता पिता व मेरे साथ मारपीट व गालीगलौज करता था। कल शाम को भी घर में मारपीट व वाद-विवाद कर रहा था। मैने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया परन्तु वह बार बार चाकू लेकर मुझे व मेरे माता पिता को मारने के लिये प्रयास कर रहा था तभी वह मुझसे मारपीट कर रहा था। उसी दौरान उसने मेरे ऊपर चाकू से वार करने का प्रयास किया। मैने गुस्से में आकर कई बार चाकू व बांका से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

मृतक का नाम-

03-गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विनोदमल पहाड़ी पुत्र आदित्य मल पहाड़ी निवासी सोढा खाप थाना बरकथा जिला हजारीबाग झारखण्ड उम्र करीब 45 वर्ष
2. सेहवन मल्हार पुत्र नामचलितमल पहाड़ी निवासी सिजुबा थाना प्रतापपुर जिला चतरा झारखण्ड उम्र करीब 19 वर्ष
3. मिथिलेश मल्हार पुत्र इंदर मल्हार निवासी किसगो थाना हीरोडीह जिला गिरडी झारखण्ड उम्र करीब 30 वर्ष
4. कारू मल्हार पुत्र स्व0 मोहन मल्हार निवासी ग्रा0 कटकम साड़ी थाना कटकम साड़ी जिला हजारीबाग झारखण्ड उम्र करीब 35 वर्ष
5. प्यारी देवी पत्नी विनोद मल पहाड़ी निवासी सोढा खाप थाना बरकथा जिला हजारीबाग झारखण्ड उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी—

- 06 अदद पायल सफेद धातु
- 06 अदद बिछिया सफेद धातु,
- 01 अदद अँगूठी सफेद धातु
- 5900/- रु0 नगद

मोडस ऑपरेंडी-

आरोपी महिला द्वारा गांवों में फेरी लगाकर **"पुराने बर्तन के बदले नये बर्तन"** देने का झांसा देती थी। वह घर-घर जाकर महिलाओं को विश्वास में लेकर कहती थी कि पुराने बर्तन देकर वे नये बर्तन प्राप्त कर सकती हैं। जब महिलाओं द्वारा पुराने बर्तन दिये जाते थे तब इनके द्वारा नये बर्तन देकर विश्वास में ले लिया जाता था

जिसके उपरान्त उनके द्वारा कुछ पुराने जेवरात बदलने की बात की जाती थी उसके बाद भी योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा वापस कर दिया जाता था तीसरी बार कई महिलाओं को विश्वास में लेकर उक्त गिरोह द्वारा घर के काफी सामान बदलने के लिए ले लिया जाता था जिसको वापस नहीं किया जाता था। उसके पश्चात जगह बदलकर पुनः इसी तरह अपराध किया जाता था।

05- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 यशवन्त सिंह
2. उ0नि0 संजय वर्मा
3. उ0नि0 अजय कुमार सिंह
4. उ0नि0 अंकित निगम
5. म0उ0नि0 मेघा तिवारी
6. हे0का बच्चा लाल,
7. का0 दीपक बालियान
8. म0का0 आकांक्षा मिश्रा
9. म0का0 साधना वर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1191
दिनांक-20.05.2025

जोन- दक्षिणी / थाना-पीजीआई

- **पीजीआई पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 शातिर वाहन चोर /अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।**

कार्यवाही:- थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा बरामदगी एक अदद हीरो मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP32MR5113 , चेचिस नम्बर MBLHAW113MHM59623, इंजन नम्बर HA11EVMHM34543 चोरी की व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त सचिन दीक्षित पुत्र संजु दीक्षित उम्र करीब 21 वर्ष निवासी अघैया थाना निगोहा जनपद लखनऊ सम्बन्धित मु0अ0सं0 227/2025 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस0 थाना पीजीआई लखनऊ। कासा ग्रीन अपार्टमेन्ट के पीछे थाना पी0जी0आई0 लखनऊ, दूरी 100 मीटर पूर्व दिशा से समय 01.11 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विधिक कार्यवाही अलग से कि जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्त सचिन दीक्षित पुत्र संजु दीक्षितउपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना हाजा पर गठित टीमद्वारा अभियुक्त सचिन दीक्षित उपरोक्तकी बाउम्मीद गिरफ्तारी एवं सुरागरसी पतारासी के क्रम में शनि मंदिर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा आकर बताया गया कि एक व्यक्ति कासा ग्रीन अपार्टमेन्ट के पीछे वाली रोड पर एक स्पेलेण्डर प्लस बाइक लिए खड़ा है जो संदिग्ध लग रहा हैमै उ0नि0 मय हमराह मुखवीर के बताये स्थान कासा ग्रीन अपार्टमेन्ट के पीछे वाली रोड पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति स्पेलेण्डर प्लस बाइक लिए खड़ा है जो संदिग्ध लग रहा है। , जिससे उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी उसने अपना नाम पता सचिन दीक्षित पुत्र संजु दीक्षित उम्र करीब 21 वर्ष निवासी अघैया थाना निगोहा जनपद लखनऊबताया।

चूँकि उक्त व्यक्ति ही मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त है, लिहाजा बाद इत्मिनान अभियुक्त सचिन दीक्षित उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त का हवाला देते हुए उसके जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 01.11बजे बाजाफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर मौजूद अभियुक्त के पिता संजू दीक्षितको दी गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सचिन दीक्षित पुत्र संजु दीक्षित उम्र करीब 21 वर्ष निवासी अघैया थाना निगोहा जनपद लखनऊ।

अभि0 सचिन दीक्षित का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस0 थाना पीजीआई लखनऊ।

बरामदगी:-

1. बरामदगी 01 हीरो मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP32MR5113 , चेचिस नम्बर MBLHAW113 MHM59623, इंजन नम्बर HA11EVMHM34543

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना पीजीआई:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह , थाना पीजीआई लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री रवि यादव, थाना पीजीआई लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री पंकज नायक, थाना पीजीआई लखनऊ।
5. का0 कमलेश कुमार, थाना पीजीआई लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट संo-1192
दिनांक- 20.05.2025

जोन- उत्तरी / माल लखनऊ

- **वाहन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए एक बालअपराधी को लिया गया संरक्षण में।**
- **कब्जे से चोरी की 07 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**
- **थाना माल पुलिस की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

उ0 नि0 मो0 रोशन, उ0नि0 हरिओम सिंह, उ0नि0 राजा बाबू मय हमराही कर्मचारीगण के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन में रुदानखेड़ा पुलिया पर मामूर थे कि चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति शाहमऊ की तरफ से आ रहे थे, मो0 सा0 को रोका गया तथा मो0 सा0 पर सवार दोनो व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम वारिश पुत्र रहीश नि0 ग्राम सहिजना निवारी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष बताया तथा दूसरे बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष ।, दोनो व्यक्तियों से गाड़ी से सम्बन्धित कागजात माँगे गये तो दिखाने से कासिर रहे, उक्त मो0 सा0 का निरीक्षण किया गया तो मोटर साईकिल पर नम्बर प्लेट नही लगी हुयी थी।

जिसके सम्बन्ध में गहराई से पूछताछ की गयी तो बताये कि यह मो0 सा0 हम लोग 10 दिन पहले कस्बा माल फलमण्डी से चुराये थे तथा नम्बर प्लेट निकालकर आज बेचने जा रहे है। और अधिक पूछताछ करने पर बताये कि चोरी की और भी मोटर साईकिल है जो हम लोगो ने सैनिक फार्म अटारी के जंगल में छिपा रखे है दोनो को साथ लेकर सैनिक फार्म अटारी पर पहुंचे तो वहां से 06 अदद मो0 सा0 बरामद हुआ।

उपरोक्त बरामद मोटर साईकिल कहाँ कहाँ से चोरी किया गया इस सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि यह हमे याद नही है। अभियुक्त से मोटर साईकिल बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/25 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य

व्यक्तिगत खर्चो की पूर्ति हेतु चोरी का कार्य करते हैं।

03-गिरफ्तार/ संरक्षण में लिये गये अभियुक्त /बाल अपराधी का विवरण

1- वारिश पुत्र रहीश नि0 ग्राम सहिजना निवारी थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष(डेयरी का काम)।
2- बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष (डेयरी पर नौकरी)।